न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 34 / 2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. हरीराम पुत्र मांगीलाल 2. पेमाराम पुत्र मांगीलाल निवसी– ईशरू तहसील फलौदी जिला जोधपुर।		1. राज्य जरिये तहसीलदार, बापिणी, जिला जोधपुर वगैराह कुल 16 पक्षकार रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी लोहावट के द्वारा प्रकरण संख्या प्र0ग0सं0 / 2021 / 20 दिनांक 28.10.2021 को पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री स्वर्णसिंह, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 8 फरवरी, 2022

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के द्वारा प्र0ग0सं0 / 2021 / 20 दिनांक 28.10.2021 को पारित आदेश के विरूद्व यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.1.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट के अधिवक्ता को अपील पर सुना गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट पटवारी हल्का के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए ग्राम ईशरू तहसील बापिणी के ख0सं0 403 के रकबा 4.9938 हैक्टर में से 0.1272 हैक्टर भूमि को रास्ते हेतु उपयोग में आ रही होना व उसी अनुसार उक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने हेतु निवेदन किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.21 को पारित किया है जिसमें अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही पारित किया गया है। उक्त आदेश से अपीलान्ट व्यथित होने से यह अपील न्यायालय हाज के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है।

8/2/2022
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय को धारा 131 व 136 राज0 भू राजस्व अधि0 में रास्ते के बाबत किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पष्ट नहीं है तथा उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण में बिना किसी खातेदार को पक्षकार बनाये उक्त आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

4. इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण में मौका रिपोर्ट पक्षकारों की अनुपस्थिति में तैयार की है जिसमें मौके पर किसी पक्षकार को नोटिस नहीं दिया गया और न ही कोई पक्षकार मौके पर उपस्थित था, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं थी। जबकि रास्ते के नियमों के अनुसार तहसीलदार व भू अभिलेख पद से नीचे का अधिकारी रिपोर्ट तैयार करके नहीं भेज सकता है। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम पंचायत की मिटींग में प्रस्ताव में बिना प्रार्थी को सूचित किये तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के एक 100 रूपये के खाली स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवा लिये।

5. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के द्वारा खातेदारान/पक्षकारान के खातेदारी भूमि के बीच में से रास्ते की भूमि दी गई है जैबकि नियमानुसार रास्ते की भूमि किसी खेत के बीच में से नहीं दी जाकर खेत के माठों–माठ से दी जा सकती थी, इस कारण से आलौच्य आदेश विधि विपरित होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलौचय आदेश पारित करते समय इस बात पर गौर नहीं किया कि उक्त भूमि में आवागमन हेतु पूर्व में ही रास्ता मौजूद है, इस कारण से भी आदेश निरस्त करने योग्य है।

6. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट के प्रकरण में मौका रिपोर्ट पक्षकारों की अनुपस्थिति में मंगवाई गई जिसमें प्रार्थी की सहमति नहीं दी गई है तथा न ही रिपोर्ट पर किसी तरह की कोई आपत्तियॉ की सुनवाई की गई है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2001 को निरस्त किया जावें।

7. हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि वे आदेश में वर्णित ग्राम ईशरू तहसील बापिणी के ख0सं0 403 के रकबा 4.9938 हैक्टर में से 0.1272 हैक्टर भूमि को मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि व राजस्व रेकर्ड

8/2/2022
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिनांक 28.10.21 को पारित किया है जिसमें अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व वर्णित भूमि के दर्ज खातेदारों की सहमति नहीं ली गई और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया है और मौका भूमि की मौका रिपोर्ट उनकी अनुपस्थिति में तैयार की गई है जिस पर उनके हस्ताक्षर नहीं करवाये गये जिससे अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप नहीं है।

8. किसी खातेदार की खातेदारी भूमि में किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग आने पर यानि आवागमन के रास्ते के रूप में उपयोग आने पर उसे अधिकृत रूप से रास्ता घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा लठठा ट्रेस में उक्त प्रकार से दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी मौखिक एवं लिखित सहमति लिया जाना एवं उसका पक्ष जानने/सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के तहत एवं काननून आवश्यक होता है जो कि अपीलाधीन कार्यवाही में नहीं अपनाया गया है। इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में उक्त प्रकरण में अपीलार्थी की अंकित खसरान भूमि के सम्बन्ध में मौके की रिपोर्ट की उपस्थिति में तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, लोहावट को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

9. अतःउपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, लोहावट को प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में अपीलार्थी की रकबा भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 8 फरवरी, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

8/2/2022

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर